भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *44

जिसका उत्तर 05 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

16 माघ, 1941 (शक)

सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या के साथ संबद्ध करना

***44. श्री सुनील बाबूराव मेंढे**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रयोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से संबद्ध करने के लिये कोई नीति बनाई गई है/बनाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोशल मीडिया पर झूठे समाचार, अश्लील और राष्ट्र-विरोधी सामग्री पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या के साथ संबद्ध करना के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *44 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रयोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को उनके आधार नंबर के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) : यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) : साइबर स्पेस इंटरनेट पर व्यक्तियों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं का एक जटिल वातावरण है। त्वरित संचार और गुमनामी की संभावना के साथ सीमाहीन साइबरस्पेस के साथ आपराधिक गतिविधियों के लिए साइबर स्पेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग के संभावना एक वैश्विक समस्या है। अफवाहें, झूठी खबरें फैलाने और बड़ी हस्तियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग संबंधी मीडिया में रिपोर्टें आई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी) 2000 में ऑनलाइन रूप से उपलब्ध विद्वेषपूर्ण सूचना सामग्री को हटाने/ब्लॉक करने के लिए प्रावधान हैं। अधिनियम में परिभाषित के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्म माध्यस्थ हैं। अधिनियम की धारा 69क सरकार को निम्नलिखित के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन में तैयार की गई, प्रसारित की गई, प्राप्त, भंडारित अथावा होस्ट की गई किसी भी ऐसी सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने से संबंधित है।

इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 79 में यह प्रावधान किया गया है कि माध्यस्थ उपयुक्त सरकार या इसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर गैर-कानूनी सूचना सामग्री को निरस्त/हटाने के लिए सावधानी बरतेंगे। इस धारा के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 के तहत यह आवश्यक है कि माध्यस्थ, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म शामिल हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यथोचित सावधानी बरतेंगे और कम्प्यूटर संसाधनों के प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित करने, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन या साझा नहीं करने की सूचना देंगे जो किसी भी प्रकार से हानिकारक, आपत्तिजनक, अवयस्कों के लिए नुकसानदेह या किसी भी रूप में गैर कानूनी है।

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिये झूठी खबरों, पोर्नोग्राफिक और राष्ट्र विरोधी सूचना सामग्री पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं , इनमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं :

i. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इंटरनेट, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए झूठी खबरें, गलत जानकारी/दुष्प्रचार वाले संदेशों के प्रसार के बारे में मीडिया की रिपोर्टों का संज्ञान लिया। एमईआईटीवाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों विशेष रूप से व्हाट्सएप्प के साथ बातचीत की। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने अपने प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर प्रसारित की गई झूठी खबरों के मुद्दे का समाधान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं।
ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, अन्य बातों के साथ अश्लीलता और पॉर्नोग्राफी से निपटने के लिए प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 66ङ, 67 और 67क में क्रमश: इलेक्ट्रॉनिकी रूप में गोपनीयता के उल्लंघन, अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण और यौन सामग्री से युक्त सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड और जुर्माने के प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 67ख में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी रूप से बाल पॉर्नोग्राफी के प्रकाशन, ब्राउजिंग या प्रसारण के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
iii. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भी कई परामर्शी निदेश जारी किए हैं जिनमें दिनांक 13.1.2018 का साइबर अपराध रोकथाम और नियंत्रण पर परामर्शी निदेश और दिनांक 4.7.2018 का बच्चों को उठाने/अपहरण करने की अफवाहों से कुछ राज्यों में मोब लिचिंग की घटनाओं पर एक परामर्शी निदेश भी शामिल हैं।
iv. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ-साथ पुलिस गैर कानूनी सूचना सामग्री को हटाने के साथ ही झूठी खबरों के प्रसार संबंधी मुद्दों का प्रभावी समाधान करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं।
v. एमईआईटीवाई, सूचना सुरक्षा शिक्षण और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के जरिए इंटरनेट का प्रयोग करते समय नीतियों का अनुपालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता रहा है और अफ़वाहों/गलत समाचार को साझा न करने की सलाह देता रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट http://www.infosecawareness.in पर जागरूकता संबंधी सूचना सामाग्री उपलब्ध कराई गई है ।

******